भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2586
मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023/28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

†**2586.श्री सुनील बाबूराव मेंढेः**
श्री कनकमल कटारा:
श्री ज्ञानेश्वर पाटिलः
श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री विवेक नारायण शेजवलकरः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री शंकर लालवानीः
डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः
श्री मनोज तिवारी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोदामों के निर्माण के लिए अनुमोदित सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का ब्यौरा क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या लक्ष्य हैं और यह देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करती है;

(ख) देश में खाद्यान्न भंडारण से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को दूर करने के लिए इस पहल से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को क्या लाभ होगा,

(ग) सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और इस पहल के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय या कार्यनीतियां निर्धारित की गई हैं;

(घ) उक्त योजना के कारण पंचायत/ग्राम स्तर पर क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) उक्त योजना के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य किस प्रकार मिलने की संभावना है;

(च) उक्त योजना के माध्यम से इन गोदामों/भंडारण सुविधाओं को प्राप्त करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को क्या विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे; और

(छ) क्या उक्त योजना के माध्यम से पैक्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (छ): देश में अन्न भंडारण क्षमता की कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' को अनुमादित किया है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरंभ किया जा रहा है ।

इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), इत्यादि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स के स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, इत्यादि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है । इन योजनाओं के अंतर्गत पैक्स गोदामों/भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना में सब्सिडी और ब्याज अनुदान का लाभ ले सकते हैं । इसके अलावा, 2 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं पर AIF योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान के लाभ को शामिल करके नाबार्ड द्वारा भी लगभग 1 प्रतिशत की अत्यधिक सब्सिडाइज्ड दर पर पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । अत:, इस योजना का लक्ष्य पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उनकी आर्थिक दशा को सुदृढ़ करना है और उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करके अंतत: उनकी वित्तीय संवहनीयता में सुधार लाना है ।

इस पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भांडागार निगम (CWC), नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS), नैशनल बिलिडंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), इत्यादि के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है । परियोजना के अंतर्गत इन एजेंसियों के माध्यम से पैक्स को परामर्शी सहायता भी प्रदान की जा रही है ।

इस योजना में जवाबदेही तथा इसके सुचारू, प्रभावशाली और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया है जो अभिसरण हेतु चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन पद्धतियों में आवश्यकतानुरूप संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है । मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सरकार की संबंधित एजेंसियों को बतौर सदस्य शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (NLCC) का भी गठन किया गया है जो इस योजना के समग्र कार्यान्वयन का संचालन करेगी और उसकी प्रगति, इत्यादि की समीक्षा करेगी ।

इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों के साथ इसका निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) का भी गठन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर निर्मित गोदामों की पूर्ण क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है । इससे पैक्स स्तर पर निर्मित गोदामों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लेने, इन गोदामों का खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा पैक्स को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाजार लिंकेज प्रदान किया जा सकेगा ।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) जैसे राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों ने इस पायलट परियोजना के

अंतर्गत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स की पहचान की है । वर्तमान में इस पायलट परियोजना के तहत 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 13 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है ।

देश में पंचायत/गांव के स्तर तक पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण द्वारा पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करके फसल पश्चात् होने वाले नुकसान में कमी आएगी और खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इससे किसानों द्वारा कम दरों पर मजबूरन बिक्री की भी रोकथाम होगी और उन्हें अपनी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा । चूंकि, पैक्स प्रापण केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान के रूप में भी कार्य करेंगे, इसलिए प्रापण केंद्रो तक खाद्यान्न के परिवहन और पुन: भांडागारों से उचित मूल्य की दुकानों तक स्टॉक के परिवहन में होने वाले व्यय में भी बचत होगी ।

यह परियोजना किसानों को विभिन्न लाभ भी प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:

i. किसान पैक्स में निर्मित गोदामों में अपनी उपज भंडारित कर सकेंगे और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर इच्छानुसार समय पर उसे बेच सकेंगे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी फसलों की कम दरों पर मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी ।

ii. उन्हें पंचायत/गांव स्तर पर ही विभिन्न कृषि निविष्टियां या सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

iii. व्यवसाय के विविधीकरण से किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकेंगे ।

iv. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा किसान अपने बाज़ार का विस्तार करके अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे ।

v. पैक्स स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल पश्चात नुकसान में कमी लाने में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे ।

vi. उपर्युक्त के अलावा, यह योजना देशभर में पंचायत/गांव के स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे ।

******